

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर,
लखनऊ-226010

संख्या : 26 /67-भर्ती अनुभाग-1-आयोग/2016
दिनांक 04, जनवरी, 2017

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के विज्ञापन संख्या 20(7)/2015, सीधी भर्ती (सामान्य चयन) 2015 के अन्तर्गत निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के नियन्त्रणाधीन 28 विभिन्न व्यवसायों के अनुदेशक के पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमन्त्रित किये गये थे। एन0सी0वी0टी0/एन0ए0सी0 धारकों के निम्नलिखित व्यवसाय/विषय के सम्मुख अंकित रिक्त पदों पर चयन हेतु पात्रता पर विचार करने के लिये साक्षात्कार पूर्व शैक्षिक अभिलेखों आदि का परीक्षण/सत्यापन किया जाना है:

क्र० सं०	पदनाम	पदों की सं०	अना-रक्षित एन.सी. वी.टी./एन.ए.सी.	अना-रक्षित डिग्री/डिप्लोमा	अनु. जाति एन.सी. वी.टी./एन.ए.सी.	अनु. जाति डिग्री/डिप्लोमा	अन्य पिछड़ा वर्ग एन.सी. वी.टी./एन.ए.सी.	अन्य पिछड़ा वर्ग डिग्री/डिप्लोमा	शैक्षिक अभिलेख मांगने हेतु कुल आवेदकों की संख्या
01	सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस	02	01	-	01	-	-	-	मेरिट सूची के अन्तिम क्रमांक तक

उक्त पदों के सापेक्ष अभिलेखों के परीक्षण/सत्यापन हेतु आवेदकों की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदकों को पुनः अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये सूची में वर्णित पद हेतु सम्बन्धित सभी प्रपत्र आदि डाउनलोड करने एवं व्यक्तिगत रूप से आयोग में अभिलेख प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 16.01.2017 है। आवेदक आयोग की वेबसाइट <http://upsssc.gov.in> पर क्लिक कर दाहिनी ओर प्रदर्शित रिजल्ट/इम्पोर्टन्ट डेक्लैरेशन सेगमेंट (**Result / Important Declaration Segment**) में जाकर सम्बन्धित लिंक पर क्लिक कर अपना आवेदन पत्र एवं सम्बन्धित सभी प्रपत्र आदि डाउनलोड कर मुद्रित करेंगे और उन्हें भरकर तथा उनके साथ समस्त अभिलेखों एवं सभी वर्षों की अंक तालिका, प्रमाण पत्रों एवं अनुभव की सुस्पष्ट स्वप्रमाणित छाया प्रतियों को संलग्न करके (जो भी सम्बन्धित हों) व्यक्तिगत रूप से आयोग में उपस्थित होकर प्राप्त करायेंगे अथवा स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा अन्तिम तिथि के पूर्व सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ-226010 के पते पर प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त नियत अन्तिम तिथि के उपरान्त वेबसाइट पर दर्शाये गये आवेदकों के स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित अभिलेखों को दिनांक 21.01.2017 के उपरान्त किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा। जिन आवेदकों द्वारा अपना आवेदन पूर्व में आयोग कार्यालय को प्रेषित किया जा चुका है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

(महेश प्रसाद)
सचिव।